

**कार्यालय जिलाधिकारी, ललितपुर**  
**(खनिज अनुभाग)**

संख्या 515 / 30-माइन्स / 2025-26

दिनांक 06/08/2025

**ई-निविदा आमंत्रण हेतु सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड-5, झॉसी के पत्र संख्या शहजाद/खनन/सि0नि0ख0-5/469 दिनांक 14.07.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि बुन्देलखण्ड पैकेज से पोषित एवं उ0प्र0 शासन के पायलेट प्रोजेक्ट शहजाद बांध स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य में तहसील तालबेहट के ग्राम डांगबरोदा में पम्प हाँउस के निर्माण के दौरान VI रनिंग बिल के अनुसार शहजाद बांध के दाये फ्लैक डाउन-स्ट्रीम की ओर हार्ड रॉक प्राप्त हुआ है, जो कार्य स्थल पर उपलब्ध है। समिति के सदस्यों द्वारा अनुमानित उपयोगी पत्थर के निर्धारण के लिए चट्टे को खोलकर देखा गया एवं पैमाइश की गयी। पैमाइश/आंकलन के दौरान मौके पर एकत्रित ग्रेनाइट रॉक (खण्डा/बोल्डर/गिट्टी) मात्रा 13195.00 घनमी0 रखा पाया गया। समिति के सदस्यों द्वारा ई-निविदा/ ई-नीलामी के माध्यम से निस्तारण किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः शासनादेश सं0 2595/86-2018-12 (सा0)/2018 दिनांक- 03.01.2018 में दिये गये निर्देशानुसार उक्त कार्य स्थल पर उपखनिज ग्रेनाइट रॉक (खण्डा/बोल्डर/गिट्टी) की भण्डारित मात्रा 13195 घनमी0 को निम्न विवरण के अनुसार 06 माह की अल्प अवधि का अनुज्ञा पत्र हेतु ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से एन0आई0सी0 की वेबसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर दिनांक...11-08-2025...से...18-08-2025... तक समय 5:00 P.M... बजे पूर्वान्ह /अपरान्ह तक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र सं	तहसील	भण्डारण स्थल	उपखनिज	कोर्डिनेट		भण्डारित मात्रा घनमी0 में	रायल्टी दर रू0 प्रति घनमी0	भण्डारित मात्रा की कुल रायल्टी रू0 में	अर्नेस्टमनी (कॉलम-9) में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत
				अक्षांश	देशान्तर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	तालबेहट	शहजाद बांध के दक्षिण सिरे के पास ग्राम डांगबरोदा में।	ग्रेनाइट रॉक, (खण्डा/बोल्डर/गिट्टी)	24°56'20.70" 24°56'23.71"	78°31'34.02" 78°31'34.93"	13195	160	21,11,200.00	5,27,800.00

- भण्डारित मात्रा के निस्तारण की अवधि 06 माह होगी।
- निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मोबाइल नं0 (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा-वोटर आई डी/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेन्स/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण)।
- भण्डारित खनिज के प्रति घनमी0 के लिए दी जाने वाली दर, जो उस खनिज के लिए नियमावली- 2021 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।
- भण्डारित मात्रा (घनमीटर) को नियमावली-2021 की अनुसूची-1 में उपखनिज की प्रचलित रायल्टी दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी, उसका 25 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित जिलाधिकारी के पक्ष में जहां वह खनन क्षेत्र स्थित है, का अग्रिम के रूप में दी जायेगी। बैंक ड्राफ्ट की मूल

प्रति कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

- 5- ई-निविदा आमन्त्रण सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 कार्य दिवसों के अन्दर अर्थात् दिनांक 18-08-2025 तक NIC की वेबसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर निविदाकार को अपनी ई-निविदा अपलोड करनी होगी।
- 6- विज्ञापित के अनुसार सात कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस में दिनांक 19-08-2025 को समय 11:02 AM बजे पूर्वाह्न/अपराह्न जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के द्वारा खोला जायेगा।
- 7- पैन कार्ड अथवा फोटो युक्त पहचान पत्र तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई-टेंडर के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा पैन कार्ड अथवा फोटो युक्त पहचान पत्र बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है, तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिडस खोलें जाने के उपरान्त दिनांक 19-08-2025 को समय 5.00 बजे के पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा। मूल अभिलेख एवं धरोहर धनराशि सम्बन्धी डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप से प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा दाता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
- 8- भण्डारित खनिज के प्रति घनमी0 के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र के खनन अनुज्ञा पत्र के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता चयन होने के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा खनन अनुज्ञा पत्र हेतु सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
- 9- जिलाधिकारी को कोई कारण बताये बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
- 10- जिला स्तर पर ई-टेंडरिंग से सम्बन्धित टेंडर्स अपलोड किये जाने, टेंडर्स खोले जाने इत्यादि कार्यों हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से सहायता ली जा सकती है।
- 11- भण्डारित मात्रा अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।
- 12- भण्डारित मात्रा के आधार पर ई-निविदा में दी गयी दर को गुणा कर वास्तविक देय धनराशि निकाली जायेगी। अग्रिम के रूप में जमा 25 प्रतिशत की धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।
- 13- क्षेत्र में भण्डारित खनिज की उपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदक स्वयं संतुष्ट हो ले। अनुज्ञापति स्वीकृति के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी क्षतिपूर्ति अथवा दावेदारी स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 14- क्षेत्र में पहुंच मार्ग का निर्माण स्वयं करना होगा।
- 15- आवेदित क्षेत्र में खनिज की उपलब्धता, उसके गुण एवं मात्रा आदि के सम्बन्ध में आवेदक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व स्वयं मौके पर जाकर सत्यापित करेगा तथा इस सम्बन्ध में बाद में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- 16- उ0प्र0 परिहार नियमावली 2021 में दिये गये प्राविधानों व समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन आवेदक को मान्य होगा है।

जिलाधिकारी,  
ललितपुर।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।
- 4- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) लखनऊ।
- 5- अपर जिलाधिकारी, ललितपुर।
- 6- समस्त उपजिलाधिकारी जनपद ललितपुर।
- 7- प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय 371/9, सिविल लाइन, झांसी।
- 8- जिला सूचना अधिकारी, ललितपुर को निःशुल्क प्रकाशनार्थ एवं प्रचार-प्रसार हेतु।
- 9- समस्त तहसीलदार जनपद ललितपुर को तहसील के सूचना पट पर चस्पा करने एवं प्रचार-प्रसार हेतु।
- 10- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) ललितपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
- 11- नाजिर सदर कलेक्ट्रेट ललितपुर को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति की एक प्रति कलेक्ट्रेट के सूचना पट पर तत्काल चस्पा करने एवं प्रचार प्रसार हेतु।

जिलाधिकारी,  
ललितपुर।